(237)

(344)

निग/निग०/सिंगरौली/भू रा०/2017/3967

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,
जिला-रीवा ‌‌{म०प्र०}

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

Rs 30/-

{1} शिवशंकर प्रसाद तनय स्व० रामप्रताप राम ब्रा०,

{2} शरद कुमार तनय स्व० रामप्रताप राम ब्रा०,

दोनों नि० ग्रा० बरहट, तह० चितरंगी, जि० सिंगरौली, {म०प्र०}

---- आवेदकगण

बनाम

आधि० श्री एन० के० मिश्रा
तारपेश/23.10.17

बृजेन्द्र कुमार द्विवेदी तनय सूर्यनाथ द्विवेदी नि० ग्रा० बरहट, तह० चितरंगी, जिला- सिंगरौली {म०प्र०} ---- अनावेदक

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्याया० अनु० विभा० अधिकारी तह० चितरंगी, जिला- सिंगरौली, {म०प्र०} द्वारा राजस्व प्रक० क्र०- 124/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 21-09-17.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

{1} महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित हैं:

{1} यह कि विद्वान मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश नैसर्गिक न्यायसिद्धांत एवं विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

{2} यह कि आवेदकगण के पिता स्व० राम प्रताप तनय शिवपती राम ब्रा० ने मौजा बरहट, तह० चितरंगी, {तत्कालीन- देवसर} जिला- सिंगरौली {तत्कालीन सीधी} {म०प्र०} स्थित पुरानी आ० नं० 156/7/2 रकवा 0.70ए० तत्कालीन भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी सेवका तनय छोटका चमार नि० ग्रा० बरहट, तह० देवसर, जिला-सीधी {म०प्र०} से मुब० 500/- {पांच सौ} रू० में जरिए पंजीकृत बयनामा क्रय किया था ।

क्रमशः.....

(237)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/भू–रा0/2017/3967 जिला–सिंगरौली

शिव शंकर प्रसाद ब्रा0/बृजेन्द्र कुमार द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन0के0 मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 124/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	